न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 210/2024
दायर दिनांक – 10.12.2024

उनवान

1. अमरचन्द पिता हरकचन्द महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. अशोक पिता हरकचन्द महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. आशीष पिता ताराचन्द लोढा महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
4. ताराचन्द पिता फतेहलाल महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
5. निहालचन्द पिता फतेहलाल महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
6. पारस पिता फतेहलाल महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
7. बसन्त कुमार पिता हरकचन्द महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
8. भागचन्द पिता हरकचन्द महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
9. राकेश उर्फ रोशन पिता हरकचन्द महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
10. राजेन्द पिता हरकचन्द महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
11. सोहन पिता फतेहलाल महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
12. उच्छबी देवी पुत्री मदन लाल महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
13. बीना पुत्री मदन लाल महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
14. खींचा पुत्री मदन लाल महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
15. भंवरदेवी पत्नि मदन लाल महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
16. संजु पुत्री मदन लाल महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
17. विनोद कुमार पिता मदन लाल महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
18. निकिता पुत्री अनिल कुमार महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
19. प्रियांशी पुत्री अनिल कुमार महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

———(प्रार्थीगण)

बनाम

1. हंसराज पिता कुनणा बलाई नि. हंसपुरा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. सांवरा पिता श्रवण कुम्हार नि. रलायता तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. लाड देवी पत्नि नाथु पुरी गुसाई नि. हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–
प्रार्थीगण अधिवक्ता—— श्री योगेश कुमार आगाल

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

आदेश

दिनांक – 13.08.2025

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम रलायता पटवार मण्डल रलायता भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 192 के आ.न. 1058, 1060, 1061, 1062, 1063, 1065 कुल किता 06 कुल रकबा 04.3000 हैक्टयर भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाड़ा

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रलायता पटवार मण्डल रलायता भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 192 के आ.न. 1058, 1060, 1061, 1062, 1063, 1065 कुल किता 06 कुल रकबा 04.3000 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढ़ी बरामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। ~~मौके पर विवाद होने, किसी अन्य~~ न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढी हो जाती है तो उक्त आराजी प्रार्थी के स्वामित्व का घोतक नही है। अतः प्रार्थी को इच्छित अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेगें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलॉं, जिला–भीलवाड़ा